



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दो अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना मिश्रिख पुलिस द्वारा अपराधों में लिप्त दो अभियुक्तगण 1. आकाश शुक्ला पुत्र रामकुमार 2. अंकित कुमार पुत्र रामखेलावन राजवंशी नि०गण शेखपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण शांतिर अपराधी है। जिनके विरुद्ध लूट व चोरी/नकबजनी जैसे अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना मिश्रिख पर मु०अ०सं० 527/20 धारा 2/3 उ० प्र० गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। दोनों अभियुक्त वर्तमान में जेल में निरुद्ध है।

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. आकाश शुक्ला पुत्र रामकुमार नि० शेखपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर
2. अंकित कुमार पुत्र रामखेलावन राजवंशी नि० शेखपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर

आपराधिक इतिहास का विवरण---

अभियुक्त आकाश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 258/20 धारा 392/411 भादवि थाना संदना सीतापुर
2. मु०अ०सं० 328/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना मिश्रिख सीतापुर
3. मु०अ०सं० 527/20 धारा 2/3 उ० प्र० गैंगेस्टर अधिनियम_थाना मिश्रिख सीतापुर

अभियुक्त अंकित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 258/20 धारा 392/411 भादवि थाना संदना सीतापुर
2. मु०अ०सं० 328/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना मिश्रिख सीतापुर
3. मु०अ०सं० 527/20 धारा 2/3 उ० प्र० गैंगेस्टर अधिनियम_थाना मिश्रिख सीतापुर